OVERVIEW

In reading about world politics, we frequently encounter the terms 'security' or 'national security'. Do we know what these terms mean? Often, they are used to stop debate and discussion. We hear that an issue is a security issue and that it is vital for the well-being of the country. The implication is that it is too important or secret to be debated and discussed openly.

विश्व-राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना 'सुरक्षा' अथवा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' जैसे शब्द से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है। लेकिन, क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम हैं? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। एसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्त्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती।

OVERVIEW

We see movies in which everything surrounding 'national security' is shadowy and dangerous. Security seems to be something that is not the business of the ordinary citizen. In a democracy, surely this cannot be the case. As citizens of a democracy, we need to know more about the term security. What exactly is it? And what are India's security concerns?

हम एसी फिल्में देखते हैं जिसमें 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढँका-छुपा और खतरनाक होता है। एसा जान पड़ता है कि मानों सुरक्षा सात तालों के भीतर की चीज हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना-देना न हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढँकी-छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या-क्या हैं?

OVERVIEW

This chapter debates these questions. It introduces two different ways of looking at security and highlights the importance of keeping in mind different contexts or situations which determine our view of security.

यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के दो नज़िरयों की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़िरया बनता है।

At its most basic, security implies freedom from threats. Human existence and the life of a country are full of threats. Does that mean that every single threat counts as a security threat? Every time a person steps out of his or her house, there is some degree of threat to their existence and way of life. Our world would be saturated with security issues if we took such a broad view of what is threatening.

सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के ख़तरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाय? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन-यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा ज़रूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नज़र आयेंगे।

Those who study security, therefore, generally say that only those things that threaten 'core values' should be regarded as being of interest in discussions of security. Whose core values though? The core values of the country as a whole? The core values of ordinary women and men in the street? Do governments, on behalf of citizens, always have the same notion of core values as the ordinary citizen?

इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीजों को 'सुरक्षा' से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाय जिनसे जीवन के 'केंद्रीय मूल्यों' को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के 'केंद्रीय मूल्य'? आम स्त्री-पुरुषों के केंद्रीय मूल्य? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा 'केंद्रीय मूल्यों' का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक?

So we are brought to a conclusion: security relates only to extremely dangerous threats— threats that could so endanger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation.

इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है एसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी।

Having said that, we must admit that security remains a slippery idea. For instance, have societies always had the same conception of security? It would be surprising if they did because so many things change in the world around us. And, at any given time in world history, do all societies have the same conception of security?

ये बातें तो ठीक हैं. फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 'सुरक्षा' अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सिदयों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एकसमान धारणा चली आ रही है? एसा हो तो आश्चर्यजनक है क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी ख़ास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है?

Again, it would be amazing if six hundred and fifty crore people, organised in nearly 200 countries, had the same conception of security! Let us begin by putting the various notions of security under two groups: traditional and non-traditional conceptions of security.

यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों? एसे में आपको यह जानकार कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिष्टा करते हैं यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा।

Again, it would be amazing if six hundred and fifty crore people, organised in nearly 200 countries, had the same conception of security! Let us begin by putting the various notions of security under two groups: traditional and non-traditional conceptions of security.

यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हों? एसे में आपको यह जानकार कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिष्टा करते हैं यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा।





Most of the time, when we read and hear about security we are talking about traditional, national security conceptions of security. In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats. The source of this danger is another country which by threatening military action endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity.

अधिकांशतया जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खुतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए ख़तरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भीखतरा होता है।

Military action also endangers the lives of ordinary citizens. It is unlikely that in a war only soldiers will be hurt or killed. Quite often, ordinary men and women are made targets of war, to break their support of the war.

शायद ही कभी एसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों अथवा मारे जायें। आम स्त्री-पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत-मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है।

In responding to the threat of war, a government has three basic choices: to surrender; to prevent the other side from attacking by promising to raise the costs of war to an unacceptable level; and to defend itself when war actually breaks out so as to deny the attacking country its objectives and to turn back or defeat the attacking forces altogether.

बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहमकर हमला करने से बाज आये या युद्ध ठन जाय तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए अथवा हमलावार को पराजित कर देना।

Governments may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country. Therefore, security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence, and with limiting or ending war, which is called defence.

युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण, सुरक्षा-नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है जिसे 'अपरोध' कहा जाता है और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है जिसे रक्षा कहा जाता है।

Traditional security policy has a third component called balance of power. When countries look around them, they see that some countries are bigger and stronger. This is a clue to who might be a threat in the future. For instance, a neighbouring country may not say it is preparing for attack. There may be no obvious reason for attack.

परंपरागत सुरक्षा-नीति का एक तत्त्व और है। इसे शक्ति-संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने अडोस-पडोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है।

There may be no obvious reason for attack. But the fact that this country is very powerful is a sign that at some point in the future it may choose to be aggressive. Governments are, therefore, very sensitive to the balance of power between their country and other countries.

हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो। फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति-संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति-संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी-तोड कोशिष्टा करती है।

They do work hard to maintain a favourable balance of power with other countries, especially those close by, those with whom they have differences, or with those they have had conflicts in the past. A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power, although economic and technological power are also important since they are the basis for military power.

जो देश नजदीक हों. जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो उनके साथ शक्ति-संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति-संतुलन बनाये रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य-शक्ति बढाने की होती है लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य-शक्ति का यही आधार है।

A fourth and related component of traditional security policy is alliance building. An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack. Most alliances are formalised in written treaties and are based on a fairly clear identification of who constitutes the threat.

पारंपरिक सुरक्षा-नीति का चौथा तत्त्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और एसे गठबंधनों को यह बात बिलकुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं।

Countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. Alliances are based on national interests and can change when national interests change. For example, the US backed the Islamic militants in Afghanistan against the Soviet Union in the 1980s, but later attacked them when Al Qaeda—a group of Islamic militants led by Osama bin nLaden—launched terrorist strikes against America on 11 September 2001.

गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका ने सन् 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

In the traditional view of security, then, most threats to a country's security come from outside its borders. That is because the international system is a rather brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behaviour. ithin a country, the threat of violence is regulated by an acknowledged central authority -

सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में एसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार-बरताव पर अंकुष्टा रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी-पहचानी व्यवस्था होती है -

the government. In world politics, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन, there is no acknowledged central विश्व-राजनीति में एसी कोई केंद्रीय सत्ता authority that stands above everyone else. It is tempting to think that the United Nations is such an authority or could become such an institution. However, as presently constituted, the UN is a creature of its members and has authority only to the extent that the membership allows it to have authority and obeys it. So, in world politics, each country has to be responsible for its own security.

नहीं जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ एसी सत्ता है अथवा एसा बन सकता है। बहरहाल. फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अत: विश्व-राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है।

By now you will have asked yourself: doesn't security depend on internal peace and order? How can a society be secure if there is violence or the threat of violence inside its borders? And how can it prepare to face violence from outside its borders if it is not secure inside its borders?

इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जेहन में यह सवाल ज़रूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून-व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है?

In traditional security, there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible. These limits relate both to the ends and the means of war. It is now an almost universallyaccepted view that countries should only go to war for the right reasons, primarily selfdefence or to protect other people from genocide.

सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। 'न्याय-युद्ध' की य्रोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्म-रक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए।

War must also be limited in terms of the means that are used. Armies must avoid killing or hurting noncombatants as well as unarmed and surrendering combatants. They should not be excessively violent. Force must in any case be used only after all the alternatives have failed.

इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध-साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत् सेना को चाहिए कि वह संघर्षविमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसपर्मण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाय जब बाकी उपाय असफल हो गए हों।

Traditional views of security do not rule out other forms of cooperation as well. The most important of these are disarmament arms control, and confidence building. Disarmament requires all states to give up certain kinds of weapons. For example, the 1972 Biological Weapons **Convention (BWC) and the** 1992 Chemical Weapons **Convention (CWC) banned the** production and possession of these weapons.

सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इन्कार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है µ निरस्त्रीकरण, अस्त्र-नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की माँग होती है कि सभी राज्य चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आयें। उदाहरण के लिए. 1972 की जैविक हथियार संधि (बॉयोलॉजिकल वीपन्स कंवेंशन) तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि (केमिकल वीपन्स कंवेंशन) में एसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

More than 155 states acceded to the BWC and 181 states acceded to the **CWC.** Both conventions included all the great powers. But the superpowers — the US and Soviet Union — did not want to give up the third type of weapons of mass destruction, namely, nuclear weapons, so they pursued arms control.

155 से ज्यादा देशों ने संधि पर और 181 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों संधियों पर दस्तख्त करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं। लेकिन महाशक्तियां 🏨 अमरीका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाण्विक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थीं इसलिए दोनों ने अस्त्र-नियंत्रण का सहारा लिया।

Arms control regulates the acquisition or development of weapons. The Anti-ballistic Missile (ABM) Treaty in 1972 tried to stop the United States and Soviet Union from using ballistic missiles as a defensive shield to launch a nuclear attack. While it did allow both countries to deploy a very limited number of defensive systems, it stopped them from large-scale production of those systems.

अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे-कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन् 1972 की एंटी बैलेस्टिक मिसाइल संधि ने अमरीका और सोवियत संघ को बैलेस्टिक मिसाइलों को रक्षा-कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। एसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जाउ सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में एसी रक्षा-प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को एसी रक्षा-प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया।

As we noted in Chapter 1, the US and Soviet Union signed a number of other arms control treaties including the Strategic Arms **Limitations Treaty II or SALT** Il and the Strategic Arms **Reduction Treaty (START).** The Nuclear Non-**Proliferation Treaty (NPT) of** 1968 was an arms control treaty in the sense that it regulated the acquisition of nuclear weapons:

जैसा कि हमने अध्याय एक में देखा है. अमरीका और सोवियत संघ ने अस्त्र-नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि-2 (स्ट्रैटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी) और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि (स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी शामिल हैं। परमाणु अप्रसार संधि (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (1968) भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी क्योंकि इसने परमाण्विक हथियारों के उपार्जन को कायदे-

those countries that had tested and manufactured nuclear weapons before 1967 were allowed to keep their weapons; and those that had not done so were to give up the right to acquire them. The NPT did not abolish nuclear weapons; rather, it limited the number of countries that could have them. Traditional security also accepts confidence building as a means of avoiding violence.


कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन् 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिये थे या उनका परीक्षण कर लिया था उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमित दी गई। जो देश सन् 1967 तक एसा नहीं कर पाये थे उन्हें एसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाण्विक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या ज़रूर कम की।

Confidence building is a process in which countries share ideas and information with their rivals. They tell each other about their military intentions and, up to a point, their military plans. This is a way of demonstrating that they are not planning a surprise attack. They also tell each other about the kind of forces they possess, and they may share information on where those forces are deployed.


सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वन्द्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान-प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक-दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। एसा करके ये देश अपने प्रतिद्वन्द्वी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनायी जा रही।

In short, confidence building is a process designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding or misperception. Overall, traditional conceptions of security are principally concerned with the use, or threat of use, of military force. In traditional security, force is both the principal threat to security and the principal means of achieving security.

देश एक-दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य-बल हैं। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहां तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वन्द्वी देश किसी गुलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाएँ। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुँचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है।



जब कोई नया देश परमाणु शक्ति-संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं? हमारे पास यह कहने के क्या आधार हैं कि परमाण्विक हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है परंतु कुछ पर नहीं?



अमरीका में सुरक्षा पर तो भारी-भरकम खर्च होता है जबिक शांति से जुड़े मामलों पर बहुत कम ही खर्च किया जाता है। यह कार्टून इस स्थिति पर एक टिप्पणी करता है। क्या हमारे देश में हालत इससे कुछ अलग है?

Non-traditional notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats and dangers affecting the conditions of human existence. They begin by questioning the traditional referent of security. In doing so, they also question the other three elements of security — what is being secured, from what kind of threats and the approach to security. When we say referent we mean 'Security for who?'

सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी (सुरक्षा किसकी?) पर सवाल उठाकर। एसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्त्वों 🏻 किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्निचह्न लगाय ाजाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है µ^सुरक्षा किसको चाहिए?

In the traditional security conception, the referent is the state with its territory and governing institutions. In the non-traditional conceptions, the referent is expanded. When we ask 'Security for who?' proponents of nontraditional security reply 'Not just the state but also individuals or communities or indeed all of humankind'. Nontraditional views of security have been called 'human security' or 'global security'.

सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भूक्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि 'सुरक्षा किसको '? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है μ ^^सिर्फ राज्य ही नहीं व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की ज़रूरत है।" इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को 'मानवता की सुरक्षा' अथवा 'विश्व-रक्षा' कहा जाता है।

Human security is about the protection of people more than the protection of states. Human security and state security should be — and often are — the same thing. But secure states do not automatically mean secure peoples. Protecting citizens from foreign attack may be a necessary condition for the security of individuals, but it is certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies.

मानवता की रक्षा का विचार जनता- जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त हो लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेत रहे।

All proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individuals. However, there are differences about precisely what threats individuals should be protected from. Proponents of the 'narrow' concept of human security focus on violent threats to individuals or, as former UN Secretary-General Kofi Annan puts it, "the protection of communities and individuals from internal violence".

मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। बहरहाल. इस बात पर मतभेद है कि ठीक-ठीक एसे कौन-से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून- खराबे से बचाने पर होता है या संयुक्त राष्ट्रसंघ के भूतपूव महासचिव कोफ़ी अन्नान के शब्दों में कहें तो एसे पैरोकारों का आशय होता है 'व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून -खराबा से बचाना।'

Proponents of the 'broad' concept of human security argue that the threat agenda should include hunger, disease and natural disasters because these kill far more people than war, genocide and terrorism combined. Human security policy, they argue, should protect people from these threats as well as from violence. In its broadest formulation, the human security agenda also encompasses economic security and 'threats to human dignity'. Put differently, the broadest formulation stresses what has been called 'freedom from want' and 'freedom from fear', respectively.

मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि युद्ध, जन-संहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल. महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तिनक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर 'अभाव से मुक्ति' और 'भय से मुक्ति' पर दिया जाता है।

The idea of global security emerged in the 1990s in response to the global nature of threats such as global warming, international terrorism, and health epidemics like AIDS and bird flu and so on. No country can resolve these problems alone. And, in some situations, one country may have to disproportionately bear the brunt of a global problem such as environmental degradation.

विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिग), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व-सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। एसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झलनी पडे।

For example, due to global warming, a sea level rise of 1.5-2.0 meters would flood 20 percent of Bangladesh, inundate most of the Maldives, and threaten nearly half the population of Thailand. Since these problems are global in nature, international cooperation is vital, even though it is difficult to achieve.

उदाहरण के लिए, वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्रतल दो मीटर ऊँचा उठता है तो बांग्लादेश का 20 प्रतिशत हिस्सा डूब जाएगा; कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाइलैंड की 50 फीसदी आबादी को खतरा पहुँचेगा। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो।

India has faced traditional (military) and nontraditional threats to its security that have emerged from within as well as outside its borders. Its security strategy has four broad components, which have been used in a varying combination from time to time.

भारत को पारंपरिक (सैन्य) और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा-नीति के चार बड़े घटक हैं और अलग-अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर-फेर से सुरक्षा की रणनीति बनायी गई है।

The first component was strengthening its military capabilities because India has been involved in conflicts with its neighbours — Pakistan in 1947–48, 1965, 1971 and 1999; and China in 1962. Since it is surrounded by nuclear-armed countries in the South Asian region, India's decision to conduct nuclear tests in 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguarding national security. India first tested a nuclear device in 1974.

सुरक्षा-नीति का पहला घटक रहा सैन्य-क्षमता को मज़बूत करना क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999 में और चीन ने सन् 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। एसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फ़ैसले (1998) को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन् 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था।

The second component of India's security strategy has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interests. **India's first Prime Minister,** Jawaharlal Nehru, supported the cause of Asian solidarity, decolonisation, disarmament, and the UN as a forum in which international conflicts could be settled. India also took initiatives to bring about a universal and non-discriminatory nonproliferation

भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मज़बूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण (क्मबवसवदपेंजपवद) और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्रसंघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों (परमाणु, जैविक, रासायनिक) से

regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction (nuclear, biological, chemical). It argued for an equitable **New International Economic Order (NIEO). Most** importantly, it used non-alignment to help carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpowers. India joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming. Indian troops have been sent abroad on UN peacekeeping missions in support of ooperative security initiatives.

संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने नव-अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग उठायी और सबसे बडी बात यह कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व-शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदिमयों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांतिबहाली के मिशनों में भेजी है।

regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction (nuclear, biological, chemical). It argued for an equitable **New International Economic Order (NIEO). Most** importantly, it used non-alignment to help carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpowers. India joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming. Indian troops have been sent abroad on UN peacekeeping missions in support of ooperative security initiatives.

संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने नव-अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग उठायी और सबसे बडी बात यह कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व-शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदिमयों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांतिबहाली के मिशनों में भेजी है।

